


NOTICE

Application form to get financial assistance from poor students aid fund can be submitted by 23.10.2016 in the office of concerned faculty along with all needed documents. This help is linked with 'earn while learn scheme' so, students are advised to submit their choices to work under 'Earn while learn scheme' in the University. It is mandatory to work under 'earn while learn scheme' to get help from this scheme.


(Anil Shukla) 24.10.16
Dean Students Welfare
University of Lucknow
Lucknow

परिचय पत्र संख्या

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

निर्धन विद्यार्थी सहायता आवेदन-पत्र

शुल्क की प्रथम किस्त का विवरण

..... संकाय
रसीद संख्या

धनराशि

वर्ष

दिनांक

(तथ्यों के असत्य अथवा भ्रामक सिद्ध होने पर, मिलने वाली सुविधाओं से वंचित कर दिया जायेगा)

1. विद्यार्थी का नाम कक्षा वर्ष/सत्र.....
2. स्थानीय पता **मौकाइल म.**
3. स्थायी पता
4. पिता/अभिभावक का नाम व्यवसाय
- नौकरी पेशा है तो विभाग का नाम पदनाम
- मासिक आय कुल वार्षिक आय
5. माता का नाम व्यवसाय
- नौकरी पेशा है तो विभाग का नाम पदनाम
- मासिक आय कुल वार्षिक आय
6. विश्वविद्यालय अथवा अन्यत्र महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले भाई तथा बहनों की संख्या
7. Earn while learn योजना के तहत आप क्या काम कर सकते हैं? --- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
8. गत वर्षों के परीक्षा परिणाम :-

परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	श्रेणी	प्रतिशत	अन्य विवरण/ यदि कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है
हाईस्कूल				
इण्टरमीडिएट				
स्नातक (प्रथम)				
स्नातक (द्वितीय)				
स्नातक (तृतीय)				
परारस्नातक				
अन्य				

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
(निर्धन विद्यार्थी सहायता आवेदन-पत्र जमा करने की रसीद)

1. नाम
2. पिता का नाम
3. कक्षा एवं विषय परिचय पत्र संख्या

दिनांक

आवेदन-पत्र प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

9. विश्वविद्यालय अथवा अन्य स्रोत से प्राप्त छात्रवृत्ति शुल्क मुक्ति अथवा किसी अन्य प्रकार की सहायता मिल रही है, तो उसका विवरण
10. यदि अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है, उसका विवरण
11. आवेदन से परिचित दो उत्तरदायी तथा प्रतिष्ठित सज्जनों का नाम व पता जिनसे आवेदक के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकें:-
1.
 2.

दिनांक

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

आवश्यक निर्देश :-

1. आवेदन-पत्र के साथ आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उसके अभाव में विचार नहीं किया जायेगा।
2. शुल्क रसीद की छायाप्रति।
3. शुल्क की प्रथम किस्त न जमा करने वाले अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं होगा।
4. पिता/माता/अभिभावक की आय प्रमाण (नौकरी पेशा में है तो सेवायोजक से अन्यथा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/तहसीलदार से)

संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति